

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -140/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00289

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी.

बनाम

श्री उदा आत्मज नारायण जाति भील निवासी कुंभकोट  
तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि  
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम  
14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित-

1 परोकार सरकार

निर्णय


दिनांक:- 13/08/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी उदा आत्मज नारायण जाति भील निवासी कुंभकोट को ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 0.10 हे० भूमि दिनांक 27.10.1959 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी नहीं मिलने पर नोटिस मकान पर चरसा किया गया । नोटिस चरसादगी से तामिल हो चुके है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 प्राप्तशुदा है । परोकार सरकार की बहस सुनी ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 0.10 हे० भूमि दिनांक 27.10.1959 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं

जिला कलेक्टर  
कोटा

होकर स्टोन का मलबा पड़ा हुआ है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

- 4 हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 210 रकबा 0.10 हे0 भूमि दिनांक 27.10.1959 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उनको आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 अनुसार मौके पर स्टोन का मलबा पड़ा हुआ है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 0.12 हे0 भूमि आवंटि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन पाया जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1959 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
(डा. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा